

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-01/2025 दिनांक 01.01.2025)
***दिनांक-01.01.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

अवैध शराब निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही-

थाना सेवरही

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 04 नफर अभियुक्तों 01- सुनील प्रसाद पुत्र भोला प्रसाद साकिन तिरमा साहुन थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर, 02- संदीप कुमार पुत्र छोटेलाल चौधरी साकिन बरौली थाना बरौली जनपद गोपालगंज बिहार, 03- अजय यादव पुत्र पलक यादव साकिन धार मठिया पो0 पटहेरवा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर, 04- मदन प्रसाद पुत्र स्व0 दीनानाथ सा0 वार्ड नं0-11 गोपालगंज थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 104 अदद ट्रेटा पैक देशी शराब बन्टी बबली बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 001/2025, मु0अ0सं0 002/2025, मु0अ0सं0 003/2025, मु0अ0सं0 004/2025 धारा 60 आब0 अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या आदि के मुकदमे में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.12.2024 को थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 951/2024 धारा 61(2)/115(2)/352/351(3)/105 बीएनएस में वांछित अभियुक्त प्रदुमन पासवान पुत्र हंसू पासवान साकिन वार्ड नं0- 1 अम्बेडकर नगर गणेशपुर नगर पालिका सुकरौली थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 951/2024 धारा 61(2)/115(2)/352/351(3)/105 बीएनएस थाना हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रदुमन पासवान पुत्र हंसू पासवान साकिन वार्ड नं0- 1 अम्बेडकर नगर



गणेशपुर नगर पालिका सुकरौली थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र०नि० श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना को० हाटा कुशीनगर
2. उ०नि० श्री नागेन्द्र चौहान थाना को० हाटा कुशीनगर
3. का० मुकेश चौहान थाना को० हाटा कुशीनगर

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा 03 पेटी अवैध देशी शराब व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.01.2025 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त ओमप्रकाश चौधरी पुत्र कन्हैया चौधरी सा० समशेरवा थाना धनहा जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 पेटी अवैध देशी शराब व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 01/2025 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 01/2025 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त-

ओमप्रकाश चौधरी पुत्र कन्हैया चौधरी सा० समशेरवा थाना धनहा जनपद पश्चिमी

बरामदगी विवरण-

1. 03 पेटी मेरी लैला देशी शराब कुल 135 ट्रेटा पैक प्रति 200 एमएल (मूल्य करीब 2250 रू)
2. 01 अदद मोटरसाइकिल अपाची संख्या संख्या BR 22 BD 4635 (मूल्य करीब 01 लाख)

गिरफ्तार करने वाले टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवि कुमार राय थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० श्री विपिन सिंह चौकी बांसी थाना कोतवाली पडरौना जनपद



कुशीनगर

3. का0 चन्दन यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
4. का0 चन्द्रप्रकाश मिश्रा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
5. हे0का0 सुनील कुमार सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा गौ-तस्करी करने वाले गैंग के 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.01.2025 को उत्तर प्रदेश से बिहार व अन्य जगहों पर गोवंशी पशुओं की तस्करी करने वाले गैंग के 05 अभियुक्तों 1- मुकेश राय पुत्र स्व० संजय सिंह निवासी करीमना थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर, 2. नीरज कुमार पुत्र हरिकेश मांझी निवासी शामपुर थाना उचकागांव जनपद गोपालगंज बिहार, 3. सुनील दीक्षित पुत्र स्व० भगवती दीक्षित निवासी चमारी पट्टी थाना फुलवरिया जनपद गोपालगंज बिहार, 4. आस मोहम्मद पुत्र डोमा खान निवासी जगदीशपुर पोस्ट पिपरा अगरवा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर, 5. भोला प्रसाद पुत्र सुदामा शाह नि० पेंडुला खास थाना उचका गांव जिला गोपालगंज बिहार के विरुद्ध थाना पुलिस द्वारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश व अन्य जगहों से पशुओं (गाय, बछड़ों) की गौ-तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है दिनांक- 10.01.2024 को मुखविर की सूचना पर पुलिस द्वारा इस गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 05 राशी गोवंशीय पशु व एक अदद पिकअप वाहन सं० UP57AT9558 एक अदद मैजिक वाहन BR28GA6959 बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 21/2024 धारा 3/5ए//8 गो०नि०अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० का अभियोग पंजीकृत है। गैंग लीडर मुकेश राय पुत्र स्व० संजय सिंह निवासी करीमना थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर उपरोक्त नें अपने अन्य सदस्यों के साथ मिल कर गौ-तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गौ-तस्करी का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित कर लिये जिनके विरुद्ध आज थाना स्थानीय पर धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा गांजा तस्कर गैंग के 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.01.2025 को गांजा/मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग से संबंधित अभियुक्तगण 01. संजीव कुमार पाण्डेय पुत्र विजय पाण्डेय सा0 बसडीला गुनाकर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर 02. मनोज पाण्डेय पुत्र स्व0 सीताराम पाण्डेय सा0 जलालडीह वार्ड नं0-08 थाना उचकागाँव जनपद गोपालगंज बिहार के विरुद्ध थाना पटहेरवा द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने-अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गैर प्रान्त से अवैध गांजा की तस्करी कर जनपद कुशीनगर होते हुये जनपद में तथा अन्य जनपदों में ले जाकर बिक्री कर अधिक रूपये अर्जित कर अपना जीवन यापन करते हैं। गैंग लीडर द्वारा अपने भिन्न भिन्न गैंग के सदस्यों के साथ 08.02.02024 को एक टोयटा कार COROLLA ALTS रजि0 नं0-WB 06B 9232 में 12 किलो 330 ग्राम अबैध गांजा तस्करी करते हुये बरामद किया गाय जिसके सम्बन्ध में थाना पटहेरवा में मु0अ0सं0 31/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गांजा/मादक पदार्थ की तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर पर मु0अ0सं0 02/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा पशु तस्कर गैंग के 07 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.01.2025 को उत्तर प्रदेश से बिहार व अन्य जगहों पर गोवंशी पशुओं की तस्करी करने वाले गैंग के 07 अभियुक्तों 01. सफीक धोबी पुत्र निजामुद्दीन ग्राम पाडरी तिलक राय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर, 02. वकील सिंह पुत्र हरेंद्र सिंह ग्राम रामपुर बगरा थाना

तरयासुजान जनपद कुशीनगर, 03.विवेक पुत्र मनोज ग्राम पडरी विशुनदयाल राय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर, 04 मुन्तजिम पुत्र मो0 खलील सा0 गली नं0 02 इस्लामनगर नियर डाक्टर नईम करूला थाना कटघर जिला मुरादाबाद, 05. झब्बू उर्फ अयुब पुत्र महबूब सा0 रहमतपुर थाना कांठ जनपद शाहजहापुर, 06. चांद उर्फ जुल्फिकार पुत्र मो0 अंसार सा0 मंझनपुर थाना मंझनपुर जनपद कौशांबी, 7. आरिफ पुत्र जफर मिया सा0 रहमतपुर थाना कांठ जनपद शाहजहापुर के विरुद्ध थाना पुलिस द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश व अन्य जगहों से पशुओं (गाय, बछड़ों) की गौ-तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है दिनांक- 29.03.2024 को मुखविर की सूचना पर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर 02 पिकअप UP 57 BT 1253 व UP 57 BT 2240 व 05 राशी गोवंशीय पशु बरामद किया गया तथा अभियुक्तगण सफीक, वकील व विवेक उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 98/24 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत है तथा दिनांक 06.04.24 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण मुन्तजिम, झब्बू उर्फ अयुब, चांद उर्फ जुल्फिकार, आरिफ के कब्जे से 32 राशी गोवंशीय पशु (28 बैल व 04 गाय) व अपराध में प्रयुक्त 01 अदद ट्रक कन्टेनर सं0 UP 21 CN 2402 व गोवंश को काटने हेतु एक अदद लकड़ी का ठीहा व 01 अदद बांका व रस्सी के 04 टुकड़े व 03 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर चालू हालत में व 06 अदद नाजायज जिन्दा कारतूस 315 बोर व 06 अदद फायरशुदा खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा मु0अ0सं0 112/24 धारा 307 भादवि 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 3/4/25/27 शस्त्र अधि0 पंजीकृत है। अभियुक्तगण अपने अन्य सदस्यों के साथ मिल कर गौ-तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गौ-तस्करी का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित कर लिये जिनके विरुद्ध आज थाना स्थानीय पर धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

थाना कसया पुलिस द्वारा गौ-तस्करी करने वाले गैंग के 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में

आज दिनांक 01.01.2025 को बिहार व अन्य जगहों पर गाय, बैल, साड़ व बछड़ों की तस्करी करने वाले गैंग के अभियुक्तगण 1. रामबदन निषाद पुत्र गोपाल निषाद निवासी सरगटिया करन पट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर, 02. मृत्युजंय गुप्ता पुत्र बन्टीलाल गुप्ता साकिन भटवलिया न01 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर, 03. सन्दीप राजभर पुत्र सुरेश राजभर साकिन भटवलिया न01 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध थाना पुलिस द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न जगहों से पशुओं (गाय, बैल, साड़ व बछड़ों) की गौ - तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है। दिनांक 20.03.2024 को मुखबीर की सूचना पर पुलिस द्वारा इस गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 07 राशि गोवंशीय पशु व 01 अदद पिकप बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 0168/2024 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत है। गैंगलीडर रामबदन निषाद पुत्र गोपाल निषाद उपरोक्त नें अपने अन्य सदस्यों के साथ मिल कर गौ - तस्करी करने जैसे संज्ञेय अपराध कारित करते है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गौ - तस्करी का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित कर लिये जिनके विरुद्ध आज थाना हाजा पर 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 32 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-82 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-34, व्यक्ति-96
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-38)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

